**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3558**
**सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक)**

**प्रवासी मजदूरों की हिरासत**

**3558. श्री अभिषेक बनर्जीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बंगाली बोलने के कारण कई राज्यों में हिरासत में लिया गया है और यदि हां, तो मामले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ कोई भेदभाव न हो?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को असंगठित कामगारों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और ऐसे कामगारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने को सुविधाजनक बनाना है। यह असंगठित कामगार को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं का पंजीकारण करने की सुविधा प्रदान करता है। दिनांक 05.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार, प्रवासी कामगारों सहित 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकारण करा हो चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'नीति' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जाँच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा हेतु, संसद ने अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 को अधिनियमित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अन्तरराज्यिक प्रवासी कामगारों को रोजगार देने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि का उपबंध करता है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्तों, विस्थापन भत्तों का भुगतान करना तथा आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक कपड़े आदि प्रदान किया जाना अपेक्षित होता है।

केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के अंतर्गत प्रवर्तन प्राधिकारी केंद्रीय क्षेत्र में पंजीकृत प्रतिष्ठानों और लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों का नियमित निरीक्षण करते हैं। राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र में अधिनियम को लागू करने का अधिकार है।

*

अनुबंध

"प्रवासी मजदूरों की हिरासत" के संबंध में श्री अभिषेक बनर्जी, सांसद (लोकसभा) द्वारा दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3558 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 05.08.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार संख्या

| क्र. सं | राज्य | दिनांक 05.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 34,455 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 86,18,260 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 2,09,908 |
| 4. | असम | 77,13,924 |
| 5. | बिहार | 3,00,29,469 |
| 6. | चंडीगढ़ | 1,88,480 |
| 7. | छत्तीसगढ | 86,03,259 |
| 8. | दिल्ली | 35,79,202 |
| 9. | गोवा | 82,998 |
| 10. | गुजरात | 1, 21,79,153 |
| 11. | हरियाणा | 54,02,184 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 20,03,493 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 35,99,050 |
| 14. | झारखंड | 96,94,965 |
| 15. | कर्नाटक | 1,08,88,631 |
| 16. | केरल | 60,66,525 |
| 17. | लद्दाख | 34,686 |
| 18. | लक्षद्वीप | 2,843 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 1,89,30,439 |
| 20. | महाराष्ट्र | 1,78,55,616 |
| 21. | मणिपुर | 4,63,867 |
| 22. | मेघालय | 3,52,419 |
| 23. | मिजोरम | 72,255 |
| 24. | नागालैंड | 2,38,334 |
| 25. | ओडिशा | 1,36,07,406 |
| 26. | पुदुचेरी | 1,94,804 |
| 27. | पंजाब | 58,63,282 |
| 28. | राजस्थान | 1,49,06,374 |
| 29. | सिक्किम | 48,796 |
| 30. | तमिलनाडु | 93,15,434 |
| 31. | तेलंगाना | 45,42,660 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 75,408 |
| 33. | त्रिपुरा | 8,96,317 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 8,39,81,159 |
| 35. | उत्तराखंड | 30,86,316 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 2,64,81,453 |
| | कुल | 30,98,43,824 |

*****